कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन)
जिला देवास (म.प्र.)

Systematic Voter's Education and Electoral Participation
(SVEEP)

–: कार्ययोजना 2018–19 :–

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
चेयर पर्सन (स्वीप)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला देवास (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन)
जिला देवास (म.प्र.)

Systematic Voter's Education and Electoral Participation
(SVEEP)

–: कार्ययोजना 2017–18 :–

देवास जिला संक्षिप्त परिचय –

- देवास जिला प्रशासनिक रूप से 05 अनुभाग क्षेत्रों देवास, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद खातेगॉव एवं 09 तहसील क्षेत्रों यथा देवास, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, हाटपीपल्या, बागली, उदयनगर, सतवास, कन्नौद एवं खातेगॉव से मिलकर बना हैं । जिले में 01 नगर पालिक निगम , 13 नगर पंचायतें तथा 495 ग्राम पंचायतें स्थित हैं । भौगोलिक दृष्टि से जिले का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण परिवेश का हैं ।

- जिले में 05 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 170–सोनकच्छ, 171–देवास, 172–हाटपीपल्या, 173–खातेगॉव, 174–बागली स्थित हैं । उक्त क्षेत्रों में से कुल 1427 मतदान केन्द्रों मे से 384 मतदान केन्द्र शहरी क्षेत्र में तथा 1043 मतदान केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित हैं ।

- जिले की 2018 की प्रोजेक्टेड पापुलेशन **17,71,019** हैं जिसमें से **9,12,673 पुरूष** तथा **8,58,328 महिलाएं** हैं। वर्तमान में जनसंख्या 2018 के आंकलन अनुसार 60.18 प्रतिशत आबादी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हैं। जिले की कुल जनसंख्या **17,71,019** के मान से 2018 के लिए **18 + जनसंख्या 10,65,799** होती है। वर्तमान में फोटो निर्वाचक नामावली में **(दिनांक 31.07.2018 के अनुसार)** जिले में कुल **मतदाता संख्या 10,53,661 हैं ।**

- जिले में वर्ष 2018 हेतु प्रोजेक्टेड कुल **पुरूष जनसंख्या 9,12,673 में से 5,49,247** आबादी 18 वर्ष से अधिक आयु समूह की हैं । मतदाता सूची में वर्तमान पंजीकरण **5,50,435** हैं जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग **.13 प्रतिशत अधिक** हैं। इसी प्रकार प्रोजेक्टेड कुल महिला जनसंख्या **8,58,328 में से 5,16,542 आबादी 18** वर्ष से अधिक आयु वर्ग समूह की हैं जिसके विरूद्ध मतदाता सूची **में पंजीकरण 5,03,208** हैं जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग **1.55 प्रतिशत कम** हैं।

- जिले में 18–19 आयु वर्ग समूह की लगभग प्रोजेक्टेड पापुलेशन **71,372** हैं जिसके विरूद्ध पंजीकृत मतदाताओं की संख्या **(दिनांक 31.07.2018 के अनुसार) 23,350 हैं जो लगभग 32.72 प्रतिशत हैं ।**

उपरोक्त सांख्यिकीय समीक्षा के आधार पर जिले में चार स्तरीय चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाकर निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित किये जाने की कार्यवाही की गई हैं :–

1. पात्र मतदाताओं का 100 प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाना ।
2. युवा वर्ग वि ोशकर 18–20 आयु वर्ग समूह के मतदाताओं को अभियान से जोड़ना।
3. महिला मतदाताओं में पंजीयन के प्रति जागरूकता लाना ।
4. लोकतंत्र में मतदाताओं की सहभागीता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में जागरूकता अभियान।
5. मतदान करनें एवं मतदाता होंने में स्वयं को गौरान्वित महसूस करने हेतु मतदाता को जागरूक करना ।
6. मतदाता पहचान पत्र के महत्व एवं उपयोगिता तथा आवश्यकता के संबंध में जागरूकता लाना।

उपरोक्त निर्धारित लक्ष्यों के दृष्टिगत योजना का विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. जिला स्तरीय –

जिला स्तर पर अभियान के तहत निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है :–

1. जिले के समस्त भाासकीय/अर्द्ध ाासकीय विभागों उपक्रमों में पदस्थ अमले में कितने अधिकारी/कर्मचारियों के नाम नामावली में पंजीकृत है ? की जानकारी प्राप्त की गई, साथ ही उन्हें प्रपत्र–6 उपलब्ध करावाया जाकर भात्–प्रति ात कार्मिकों को पंजीकृत किये जाने हेतु विभागीय अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही सभी विभाग प्रमुखों से यह भी अपेक्षा की जा रही हैं कि वे अपने अधीनस्थ पदस्थ अमले को अपने–अपने परिवार/रि तेदार/परिचित व्यक्तियों आदि के नाम नामावली में पंजीकरण किये जाने हेतु प्रेरित करें ।
2. इसी प्रकार ऐसे उपक्रम या विभाग जहां अधिकाधिक आम व्यक्ति निरन्तर विभिन्न कार्य हेतु उपस्थित होते हैं जैसे बैंक, पोस्टआफिस, नगरीय निकायों के कार्यालय, न्यायालय परिसर, चिकित्सालय आदि के प्रबंधकों विभाग प्रमुखों से भी यह अपेक्षा की जा रही हैं कि वे अपने कार्यस्थल में पदस्थ अमले के नामावली पंजीकरण का आंकलन करें तथा उन्हें पंजीकरण करनें हेतु प्रेरित करें । इस हेतु प्रपत्र–6 भी उपलब्ध कराया गया हैं, इसके साथ ही वहां उपस्थित होंने वाले आम नागरिकेां को भी प्रेरित करनें की दृश्टिगत बैनर/पोस्टर के माध्यम से प्रचार कार्यवाही करनें संबंधी अमले को निर्दे ात किया गया ।
3. जिले के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा वहां के स्टाफ के पंजीकरण हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा उन्हें निर्देशित किया गया हैं कि वे जिले के समस्त महाविद्यालयों में नियुक्त किये गये महाविद्यालयीन नोडल अधिकारियों से पंजीकरण संबंधी फार्म निरन्तर प्राप्त करें तथा सतत् समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं उसका नाम नामावली में पंजीकृत हो जावें । महाविद्यालय में प्रवेश के समय प्रवेशफार्म के साथ–साथ नामावली पंजीकरण फार्म भी भरवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।
4. देवास जिला मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसके दृश्टिगत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा म.प्र. वित्त निगम का सहयोग लेकर औद्योगिक संस्थानों मे कार्यरत अमले को भी पंजीकरण हेतु प्रेरित करनें के उददेश्य से प्रचार सामग्री के वितरण की व्यवस्था की गई हैं । इस हेतु भाासकीय कर्मचारियों का एक पृथक समूह तैयार कर उत्तरदायित्व सौंपा गया जो

निरन्तर औद्योगिक संस्थानों में उपस्थित होकर अपंजीकृत मतदाताओं से फार्म–6 प्राप्त करनें की कार्यवाही करेगा ।

5. जिला मुख्यालय एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सार्वजनिक स्थल तथा ऐसे सार्वजनिक आयोजनों जहां विभिन्न आयु वर्ग के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, ऐसे स्थलों पर प्रचार सामग्री, स्लोगन, उदघोशणा के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान का प्रचार किये जाने की कार्यवाही की गई हैं ।
6. रेल्वे स्टेशन तथा बस स्टेण्ड अन्य यात्री प्रतिक्षालयों पर पोस्टर/प्रचार सामग्री का उपयोग कर मतदाता जागरूकता अभियान की कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
7. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, भास्त्र लायसेन्स, आय/जाति/मूल निवासी/जन्म प्रमाणपत्र जैसे कार्यो के लिए उपस्थिति स्थलों पर प्रचार सामग्री का उपयोग कर नागरिकों को आवेदन पत्रों में मतदाता पहचानपत्रों का उपयोग करनें हेतु प्रेरित करना ।
8. जिला स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, राजनैतिक दलों की बैठक कर अभियान से संबंधित प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए उनसे सहयोग की अपील जारी करना तथा उनका समन्वय सुनि चत करना ।
9. जिला स्तर पर होंने वाली सभी शासकीय बैठकों के एजेण्डा में मतदाता जागरूकता अभियान को अनिवार्य बिन्दु के रूप में सम्मिलित करना ।
10. जिला स्तर पर होंने वाली अन्य बैठकों जैसे नगरीय निकायों, जिला पंचायत की सभाओं के एजेण्डा में मतदाता जागरूकता अभियान को अनिवार्य बिन्दु के रूप में सम्मिलित करना ।
11. जिला कार्यालय स्तर से अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करना ।
12. रीजनल आईकान के संदे ाो का व्यापक प्रचार–प्रसार सी.डी./सिनेमाघरों/ केबलनेटवर्क के माध्यम से सतत किया जा रहा हैं ।
13. मतदाताओं की सुविधा हेतु टोलफ्री नम्बर 1950 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा हैं ।
14. जिले की 05 विधानसभा मुख्यालयों के साथ ही जिले की 09 तहसीलों में मतदाता सुविधा केन्द्र स्थापित कर दियें गये हैं, जहां मतदाताओं का डुप्टलीकेट मतदाता पहचान पत्र तत्काल तैयार कर प्रदाय करना, नामावली में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन तथा पता परिवर्तन हेतु क्रमशः फार्म–6, 7, 8 एवं 8क उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
15. मतदाताओं को नामावली में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन तथा पता परिवर्तन हेतु आनलाईन आवेदन हेतु ई.सी.आई एवं मु.नि.प. भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध ई–रजिस्ट्रेशन आप्शन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा हैं तथा ई–रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निराकरण समयबद्ध निराकरण ईआरओ नेट पर कराया जा रहा है।
16. मतदाताओं की सुविधा के दृश्टिगत बैंकों/ATM पोस्ट आफिस एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर को नामावली में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन तथा पता परिवर्तन हेतु फार्म उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
17. बैंकों/ATM में फार्म प्राप्ति हेतु ड्राप बाक्सेस लगवाने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

2. अनुविभाग स्तरीय –

अनुविभाग स्तर पर विभिन्न कार्यवाहियों हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने–अपने क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी है। अतः उन्हें निर्दे ाित किया गया हैं कि वे ऐसे समस्त क्षेत्र चिन्हांकित करें जिनमें मतदाता पंजीकरण कम हैं, महिला मतदाता का पंजीकरण कम हैं, ।
2. उपरोक्तानुसार चिन्हांकित क्षेत्रों को वि िाश्ट श्रेणी में रखकर वहां पदस्थ बी.एल.ओ., क्षेत्र के पटवारी, राजस्व निरीक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं भाहरी क्षेत्र में

नगरीय निकाय के पदाधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपते हुए मतदाता जागरूकता अभियान की कार्यवाही करनें हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को निर्दे ा जारी किये गये हैं ।

3. महिला मतदाता के पंजीकरण को वि ोश महत्व देते हुए ऐसे चिन्हांकित क्षेत्रों में महिला सहयोगी कर्मचारियें को भी बी.एल.ओ. के साथ नियुक्त करनें के निर्दे ा जारी किये गये हैं ।
4. अनुभाग क्षत्रों में स्थित भाासकीय/अर्द्ध ाासकीय विभागों, बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जिस प्रकार की कार्यवाही जिला स्तर पर की गई हैं उसी प्रकार की कार्यवाही अनुभाग स्तर पर भी किये जाने के निर्दे ा दिये गये हैं ।
5. अनुभाग स्तर पर होंने वाली बैठकों, राजस्व अधिकारियों के भ्रमण, अन्य आयोजनों के समय मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े बिन्दुओं का सतत् प्रचार–प्रसार करनें के निर्दे ा दिये गये हैं ।
6. अभियान के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा करनें के निर्दे ा दिये गये हैं ।

3. तहसील स्तरीय –

तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यवाहियों हेतु निम्नानुसार निर्दे ा जारी किये गये हैं :–

1. प्रत्येक तहसील स्तर पर संबंधित तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्र के सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी पदाभिहित हैं । अतः बी.एल.ओ. को निरन्तर मार्गद िन एवं गहन प्रि ाक्षण देने के साथ–साथ प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में मतदाता पंजीकरण की स्थिति, महिला मतदाता पंजीकरण की स्थिति, युवा वर्ग के पंजीकरण की स्थिति, जनसंख्या मतदाता अनुपात का आंकलन, फोटोग्राफ एकत्र करनें की कार्यवाही, मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करनें के दृश्टिगत की जाने वाली कार्यवाहियों पर समीक्षा करनें एवं तदनुसार कार्यवाहियां करनें के निर्दे ा जारी किये गये हैं ।
2. क्षेत्र में सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, विद्यालयों/महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर नुक्कड़ नाटक, विद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियों, मानव श्रंखला बनाने तथा इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में लोकतंत्र में मतदाता की भागीदारी महत्व एवं उत्तरदायित्व को मूल उददे य के रूप में रखकर मंचन आदि करनें के निर्दे ा जारी किये गये हैं ।
3. निबंध, वाद–विवाद, स्लोगन प्रतियोगिताओं, खेल–कूद गतिविधियों में भी मतदाता जागरूकता अभियान को सादृ य रूप से प्रचारित किये जाने के निर्दे ा दिये जा रहे हैं
4. प्रत्येक तहसीलदार को अभियान की नियमित समीक्षा करनें के निर्देश दिये गये हैं ।

4. मतदान केन्द्र स्तरीय –

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान केन्द्र के क्षेत्र में नियुक्त बी.एल.ओ. सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हैं । जिले के सभी बी.एल.ओ. को प्रशिक्षण सत्रों में निम्नानुसार कार्यवाहियों करनें के निर्देश दिये गये हैं:–

1. मतदान केन्द्र के क्षेत्र में कुल जनसंख्या की जानकारी एकत्र करना ।
2. क्षेत्र में महिला/पुरूश पंजीकृत मतदाताओं की तुलना जनसंख्या आंकड़ों से करना ।
3. 18–19 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों की जानकारी एकत्र कर उनके पंजीयन हेतु फार्म एकत्र करना ।
4. अपंजीकृत मतदाताओं के पंजीकरण की कार्यवाही करना ।
5. निर्वाचक नामावली में भात्–प्रतिशत फोटोग्राफ की कार्यवाही सुनिश्चित करना ।

"लोकतंत्र की यही पहचान, निर्भीक होकर करे मतदान ,"

6. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों तथा बाहरी क्षेत्र में मतदान केन्द्र के क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग प्राप्त करना ।
7. मतदाता जागरूकता अभियान के लिए निरन्तर प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना ।
8. महिला मतदाता के पंजीकरण के लिए मतदान केन्द्र की जागरूक महिलाओं का समूह संगठित करना ।
9. मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में आवश्यक सुधार करना ।
10. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ अर्वेयरनेस ग्रुप का गठन करना।
11. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति करने हेतु प्रेरित करना।
12. चुनावी पाठशाला क्लब (ई.एल.सी.) का गठन करना।

उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर निरन्तर जानकारियों के संकलन, समीक्षा एवं उत्तरोत्तर कार्यवाहियों के निर्देश सभी अधिकारियों को जारी किये गये हैं तथा प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया हैं ।

जिले हेतु मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सभी लक्ष्यों की शत–प्रतिशत पूर्णता निर्धारित समय पर की जावेगी ।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में **SVEEP** के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों में जिले द्वारा निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गई –

1. जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रकाशित नामावली में मतदाताओं के शत प्रतिशत फोटोग्राफ उपलब्ध है।
2. नामावली में दर्ज शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किये जा चुके है ।
3. दिनांक 31.07.18 को प्रकाशित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान जिले का **मतदाता जनसंख्या अनुपात 59.49** हो गया जो जिले के औसत 60.18 से 0.67 कम हैं ।
4. सतत् अद्यतन की कार्यवाही अन्तर्गत 18–19 आयु वर्ग के पंजीयन में वृद्धि हुई तथा दिनांक 31.07.18 की स्थिति में निर्वाचक नामावली में उक्त आयु समूह के 23350 मतदाता पंजीकृत हैं।
5. प्रकाशित नामावली अनुसार जिले का **जेण्डर रेशो** 914 है ।
6. जिले की पांचों विधानसभाओं में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुख्यालय के साथ–साथ तहसील स्तर पर मतदाता सहायता केन्द्र कार्यरत हैं जहां मतदाताओं का तत्काल मतदाता पहचान पत्र (डुप्लीकेट) प्रदाय करने की कार्यवाही की जा रही है । मतदाता सहायता केन्दों पर फार्म 6, 7, 8, 8क जमा की जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
7. जिले के सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा बीएलओ के नाम, मोबाईल नम्बर, पते आन लाईन उपलब्ध हैं ।

स्वीप अंतर्गत वर्तमान प्रचलित कार्यवाही विवरण इस प्रकार है :–

1. जिले में स्थित महाविद्यालयों में विधानसभा वार ऐम्बेसेडर नियुक्त किये जाकर उनका प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया एवं उनके माध्यम से कार्यवाही जारी है। **पत्र संलग्न**
2. प्रथम चक्र में प्रचार–प्रसार हेतु जागरूकता वेन जिले में दिनांक 20.12.2017 से दिनांक 07.01. 2018 तक चलाई गई है। **कार्यक्रम संलग्न है।**

3. स्वीप (मतदाता जागरूकता) हेतु स्वीप नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी एवं विधानसभा स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी किये। **आदेश संलग्न**
4. मतदाता जनसंख्या अनुपात (ईपीरेशो)/जेण्डर रेशो के सुधार हेतु पत्र जारी किये गये। **संलग्न पत्र।**
5. कलेक्टोरेट कार्यालय में जनसुनवाई के समय उपस्थित आमजनों के मध्य प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से ईव्हीएम/व्हीव्हीपेट की जानकारी प्रदान की गई।
6. मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत शासकीय कार्यालयों में संचालित होने वाली गतिविधियों में उपस्थित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी आमजन हितग्राही आदि को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं निष्पक्ष मतदान हेतु प्रेरित करने विषयक चर्चा, परिचर्चा/ प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया एवं शासकीय पत्राचार में मतदाता जागरूकता संबंधी स्लोगनों को अंकित किया जायें। ऐसा पत्र जारी । **पत्र संलग्न**
7. चुनावी पाठशाला क्लब (ई.एल.सी.) के गठन हेतु समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों को पत्र जारी कर लगभग 35 विभागों में क्लब गठन कर लिया गया है। **पत्र संलग्न**
8. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक/कार्यशाला आयोजित कर ईव्हीएम/व्हीव्हीपेट की जानकारी प्रदान की गई। **पत्र संलग्न है।**
9. जिला पुलिस अधीक्षक, देवास की उपस्थिति में पुलिस विभाग की बैठक आयोजित कर ईव्हीएम/व्हीव्हीपेट की जानकारी प्रदान की गई। **फोटो संलग्न है।**
10. वर्तमान समय में द्वितीय चक्र के रूप में दिनांक 11.07.2018 से दिनांक 10.08.2018 हेतु मतदाता जागरूकता रथ का कार्यक्रम तैयार कर जिले में विधानसभावार सतत भ्रमण जारी है। इसमें
    1. जिले में अब–तक 640 मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया जाकर प्रचार प्रसार एवं जानकारी दी गई।
    2. 27000 आमजनों के समक्ष मतदान केन्द्रों/हाट–बाजार/भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों/शालाओं में ईव्हीएम/व्हीव्हीपेट की जानकारी प्रदान की गई। इसके फोटोग्राफ, पेपर कतरन संलग्न है।
    3. उक्त कार्यक्रम के दैनिक प्रगति निर्वाचन आयोग को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
11. दिनांक 04.08.2018 को शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास में छात्र–छात्राओं एवं प्राध्यापकों के साथ एक बैठक/कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें अधिक से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, वोटर कार्ड तैयार करने एवं नवीन ईव्हीएम/व्हीव्हीपेट की जानकारी प्रदान की गई। **संलग्न फोटा एवं प्रतिवेदन।**
12. दिनांक 04.08.2018 को कृषि उपज मण्डी देवास में मुख्यमंत्री स्वरोजगार मेला कार्यक्रम में 3 अलग–अलग स्टॉल लगाकर ईव्हीएम/व्हीव्हीपेट की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मतदाता जागरूकता प्रचार–प्रसार की कार्यवाही भी की गई। उक्त कार्यक्रम में लगभग 2 से 4 हजार युवा/कृषकगण शामिल हुवे थे।
13. दिनांक 08.08.2018 को कृषि/सहकारिता विभाग के फसल बीमा कार्यक्रम के साथ उपस्थित होकर मतदान का महत्व बताते हुवे मतदाता जागरूकता अभियान हेतु चर्चा, परिचर्चा आहुत की गई। **संलग्न फोटोग्राफ्स**

"लोकतंत्र की यही पहचान, निर्भीक होकर करे मतदान ,"

14. आगामी दिनांक 10.08.2018 को जिला पंचायत भवन में खरीफ फसल के पंजीयन हेतु स्थापित 68 केन्द्रों के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण रखा गया है। इन केन्द्रों के माध्यम से जिले में लगभग 1.00 लाख कृषकों का पंजीयन प्रस्तावित है। अतः उपस्थित नोडल अधिकारियों को इस प्रशिक्षण के साथ–साथ मतदाता जागरूकता अभियान से अवगत कराया जावेगा। ताकि उनके सम्पर्क के समस्त कृषकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वोटर कार्ड बनवाने एवं निष्पक्ष मतदान हेतु प्रेरित किया जा सकें।
15. आयोग के निर्देशानुसार आगामी 13.08.2018 को स्वीप पार्टनर की एक बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष देवास में आयोजित की जाकर जागरूकता अभियान संबंधी की जाने वाली कार्यवाहियों हेतु चर्चा, परिचर्चा की जाना है। **संलग्न प्रपत्र**
16. फेसबुक – 1. Sveep District Dewas के नाम से पेज बनाया जाकर फोटो एवं जानकारी अपडलोड की गई।
    1. मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) कार्य में संलग्न समस्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का एक ग्रुप वाट्सप पर बनाया जाकर, की जा रही है। समस्त गतिविधियॉ सतत अपलोड की जा रही है।

अन्य गतिविधियॉ :–

1. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2018 को ग्राम पंचायतों में की गई ग्रामसभाओं में मतदाता सूची का वाचन कराया गया।
2. प्रत्येक विधानसभा में सबसे कम ईपी रेशो एवं जेण्डर रेशो वाले 10–10 मतदान केन्द्रों के बीएलओ/सुपरवाईजर/आंगनवाडी कार्यकर्ता पंचायत सचिव, रोजगार सहायक आदि की बैठक दिनांक 20.08.2018 एवं 21.208.2018 को आहुत कर सुधार हेतुं निर्देश एवं प्रशिक्षण दिया गया।
3. उत्कृष्ट विद्यालय देवास से दिनांक 16 अगस्त 2018 को स्काउट्स गाईड की मतदाता जागरूकता रैली कलेक्टर जिला देवास की उपस्थिति में निकाली गई।

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)
चेयर पर्सन (स्वीप)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला देवास (म.प्र.)

"लोकतंत्र की यही पहचान, निर्भीक होकर करे मतदान ,"